न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2013 निगरानी नगरपालिका

1. मोहनलाल पुत्र झंडू जाति मीणा निवासी काकरिया वालो की ढाणी (सेडूलाई) सवाईमाधोपुर रोड के पास तहसील लालसोट जिला दौसा — निगरानीकर्ता

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट
3. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी जवाहरगंज लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
4. शिवचरण पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी जवाहरगंज लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
5. मंजू देवी पुत्री रामगोपाल पत्नि मोहनलाल जाति महाजन निवासी बटनगर अहमदाबाद गुजरात
6. गायत्री देवी पुत्री रामगोपाल पत्नि जगदीश जाति महाजन निवासी सिंधी कॉलानी निवाई जिला टोंक
7. शकुन्तला देवी पुत्री रामगोपाल पत्नि सत्यनारायण जाति महाजन निवासी श्योपुर रोड जिला जयपुर राज.
8. आश देवी पुत्री रामगोपाल पत्नि सत्यप्रकाश जाति महाजन निवासी सुरवाल जिला सवाईमाधोपुर
9. उपजिला कलक्टर लालसोट

गैरनिगरानीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी विरूद्ध भू–आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 बाबत ख.न. 1462 भू–आवंटन क्रमांक सं. 248 नगर पालिका मण्डल लालसोट

उपस्थिति : श्री वरूण नागर अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री अभयशंकर शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 3 व 4 अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 29.06.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा लालसोट में ख.न. 1462 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा निगरानीकर्ता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि से मृतक राधा देवी व उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं. 03 लगा0 08 का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नही है। नगरपालिका मण्डल लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जाकर गैर कानूनी तरीके से भूमि को आबादी में परिवर्तित हुए बगैर ही कृषि भूमि का पट्टा गुप–चुप में बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये क्रमांक 249 दिनांक 18.02.2002 को स्व. राधा देवी के हक में जारी कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। गैर निगरानीकार सं. 01,02, व 05 लगा0 09 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। नगरपालिका मण्डल लालसोट का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गय की नगरपालिका मण्डल लालसोट का भू–आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 क्रमांक 248 विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया विरूद्ध होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भू–आवंटन पत्र दिनांक 18.02.2002 में कथित तौर पर धारा 90 बी के तहत पुनः आवंटन करना बताया गया है लेकिन दिनांक 18.02.2002 तक 90 बी की कार्यवाही नही हुई थी एवं भूमि निगरानीकर्ता के कब्जे काश्त व खातेदारी मे थी। राजस्व रिकार्ड मे भूमि के आबादी में परिवर्तित होने का कोई अंकन नही था। लेकिन नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त भूमि का कभी भी कोई एग्रीमेन्ट निगरानीकर्ता ने स्व. राधा देवी से नही किया। स्व. राधा देवी व उसके वारिसान ने नगरापालिका मण्डल लालसोट में निगरानीकर्ता के फर्जी हस्ताक्षरो का झूठा शपथ पत्र व अन्य कागजात पेश कर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उक्त पट्टा प्राप्त किया हैं। निगरानीकर्ता ने नगरपालिका मण्डल लालसोट या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई हस्ताक्षर नही किये। कृषि भूमियों को पुराने नियमो के अन्तर्गत तत्समय दिनांक 18.02.2002 को बिना 90 बी हुए आबादी में परिवर्तित हुए बिना भूमि आवंटित नही की जा सकती थी। उक्त भूमि कब आबादी में परिवर्तित हुई इस बाबत कोई रिकार्ड नगरपालिका की पत्रावली में उपलब्ध नही है। ख.न. 1462 के नये ख.न. परिवर्तित होकर 3907/1462 कायम किये गये है। नगरपालिका मण्डल द्वारा जो भू–आवंटन पत्र जारी किया गया है उसमें सीमाये बतायी गई । वह भूमि ख.न. 1498 की है एवं 1498 ख.न. की भूमि भी निगरानीकर्ता की खातेदरी की है। इस सम्बन्ध मे भी दीवानी न्यायालयों में वाद व अपीले विचाराधीन चल रही है। कृषि भूमि का काई भी इकरार मीणा जाति का व्यक्ति स्वर्ण जाति के व्यक्ति से नही कर सकता। इस प्रकार कथित इकरारनामा भी धारा 42 राजस्थान टिनेनसी एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रभावहीन दस्तावेज है। धारा 90 बी के सम्बन्ध में उपजिला कलक्टर लालसोट से भी सूचना प्राप्त करने पर कोई प्रमाणित सूचना निगरानीकर्ता को उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना 90 बी की कार्यवाही किये तथा आबादी मे भूमि परिवर्तित हुए बिना ही निगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा प्रश्नगत पट्टा दिनांक 18.02.2002 क्रमांक 248 विधि विरूद्ध जारी किया गया है। जो निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया एवं नगरपालिका मण्डल से प्राप्त मूल अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रश्नगत पट्टा भूमि की धारा 90 बी की कार्यवाही किये जाने एवं भूमि नगरपालिका मण्डल लालसोट की खातेदारी मे दर्ज होने एवं आबादी भूमि में परिवर्तित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात उपलब्ध नही है एवं नगरापालिका द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही भी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा जारी भू–आवंटन पत्र क्रमांक 248 दिनांक 18.02.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रश्नगत पट्टा भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा